

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या /XVII(4)/2011(246)/2006

देहरादून: दिनांक 9 दिसम्बर 2011

कार्यालय ज्ञाप

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सेवा प्रदाताओं से संबंधित कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु निम्नलिखित संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में अधिकृत/नामित किया जाता है-

क्र सं	जनपद	संस्था का नाम/पता	संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव का नाम
1	हरिद्वार	भारतीय महिला कला समिति, कृष्णा नगर विष्णु गार्डन गांधी आश्रम वाली गली पो0 गुरुकुल कॉगडी हरिद्वार।	श्री चरण सिंह, अध्यक्ष, श्री अनिल शर्मा, सचिव मो 09358316732
2	उधमसिंह नगर	बाल कल्याण महिला विकास शिक्षा प्रचार-प्रसार समिति ग्राम हरियावाला पो0 कुण्डा वाया काशीपुर उधमसिंह नगर	सुश्री प्रमिला पाण्डे, सचिव
3	बगेश्वर	रूड्स कपकोट बागेश्वर	श्री प्रहलाद कोश्यारी, अध्यक्ष
4	हरिद्वार	अजित रुरल टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूट सोसायटी, नन्द विहार कालोनी सुनहरा रोड रुडकी हरिद्वार	श्री सी0एम0 राणा, सचिव

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

संख्या 2555 / XVII(4)/2011(246)/2006 वं तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागाध्यक्ष द्वारा निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. निदेशक, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।
13. समस्त सम्बन्धित संस्थायें।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव